संख्या–319 /XXVIII(1)/2013-56/(हल्द्वानी)2012

प्रेषक,

मनीषा पंवार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांकः 13 मार्च, 2013

विषयः– **राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी में 75 सीटेड पुरूष एवं महिला पी0जी0 छात्रावास के निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या– 7प/1/37/2012/27887, दिनांक 08.07.2012 तथा प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी के पत्र संख्या–5707/GMC/L-7/वृहद निर्माण कार्य, दिनांक 01.02.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी में 75 सीटेड पुरूष एवं महिला पी0जी0 छात्रावास के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों हेतु टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि **₹ 30.15 लाख (₹ तीस लाख पन्द्रह हजार मात्र)** की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य एम0सी0आई0 मानकों के अनुरूप है एवं तद्नुसार ही सम्पादित किये जायेंगे।

2. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30.03.2012, शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19.06.2012 एवं शासनादेश संख्या–330/ XVII(1)/ 2012, दिनांक 22.06.2012 द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों/प्रकिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3. उक्तानुसार अनुमन्य की जा रही धनराशि वर्णित सम्पूर्ण कार्य हेतु अधिकतम व्यय सीमा मात्र को प्राधिकृत करता है परन्तु धनराशि कार्यदायी संस्था को आबंटित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी प्रकिया से किया गया हो एवं प्राप्त न्यूनतम राशि के सापेक्ष आहरण किश्तों में किया जायेगा। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–571/XXVII(1)/2010 दिनांक 19.10.2010 के अनुसार निर्माण कार्यो के अगले चरण के सम्बन्ध में समयबद्धता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4. शासनादेश संख्याः–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 में निर्धारित प्रारूप पर समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को आवश्यक धनराशि एम0ओ0यू0 के निष्पादन के बाद अवमुक्त की जा सकेगी। कार्य एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा तथा एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्त के अनुसार परियोजना के पूर्ण करने की अवधि में लागत पुर्नरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी। निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष

का होगा तथा परियोजनाओं को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

5. कार्यदायी संस्थाओं को डिपॉजिट आधार पर किये जाने वाले निर्माण कार्यो एवं साज सज्जा विषयक सैन्टेज प्रभार शासनादेश सं0–163/XXVII(7)/2007 दिनांक 22.05.2008 तथा नियोजन विभाग के नविनतम शासनादेशों के अनुसार देय होगा तथा प्रथम चरण के कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि को सेन्टेज की देय राशि में यथास्थिति समायोजित किया जायेगा।

6. कार्यदायी संस्था द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitbale आधार पर अन्य ऐजन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

7. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

8. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

9. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

10. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए ताकि निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

11. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

12. यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाए।

13. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

14. उक्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि को भविष्य में प्रश्नगत कार्यदायी संस्था के सेन्टेज चार्ज (Centage Charge) में समायोजित किया जायेगा।

15. उक्त धनराशि तत्काल आहरित कराई जायेगी तथा तत्पश्चात् परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, हल्द्वानी को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नहीं की जायेगी।

16. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैन्युवल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

D:\2013\MEDICAL COLLEGE\Haldwani medical college\Rajpur beda Haldwani\2011-12 GO.doc

17. आगणन को जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

18. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या हर दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

19. धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार अथवा मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाये।

20. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत– 03– चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105– एलोपैथिक 09–राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना के मानक मद 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

21. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–241(P)/XXVII(3)/2012–13, दिनांक 07 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

22. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 के क्रम में उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति संबंधी ऑन लाइन बजट आवंटन प्रपत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या एवं तद्‌दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2- आयुक्त कुमांऊ मण्डल।
3- जिलाधिकारी, नैनीताल।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
6- परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हल्द्वानी।
7- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8- वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Medical Education (S031)

आ पत्र संख्या - **319/XXVIII(1)/2013-56(Haldwani)2012**

अलोटमेंट आई डी - **S1303120179**

अनुदान संख्या - **012**

आवंटन पत्र दिनांक - 13-Mar-2013

HOD Name - Director General Medical Health & Family Welfare (2671)

1: लेखा शीर्षक - 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

105 - एलौपैथी

00 - राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चि

03 - चिकित्सा शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

09 - राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं सम्बद्ध

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत् निर्माण कार्य	35014000	3015000	38029000
	35014000	**3015000**	**38029000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 3015000